

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941

No. 2542]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

का.आ. 2796(अ).—प्रारूप अधिसूचना, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 777 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 21 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है और यह आकार में लंबा है तथा इसे उत्तरी और दक्षिणी दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, दोनों भाग संकरी सीमा से जुड़े हुए हैं, उत्तरी भाग आकार में बड़ा है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 12.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई लगभग 7 किलोमीटर है, दक्षिणी भाग आकार में छोटा है, जिसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 85°2'18" और 85°17'14" पूर्वी देशांतर और 24°19'33" और 24° 29' 33" उत्तरी अक्षांश के बीच 121.224 वर्ग किलोमीटर है;

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य में जैव विविधता की प्रचुरता है। इसमें चीतल, बनैला सूअर, रीछ, सियार, साही, लकड़बग्घा, खरगोश आदि का वास है। अभयारण्य पलामू, चतरा एवं कोडरमा के प्रवासी हाथियों के लिए गलियारे का काम करता है और एशियाई हाथियों में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां जैसे कि सरपेंट ईगल, पैराडाईस फ्लाई-कैचर, किंगफिशर, बी-ईटर, स्विफ्ट विभिन्न प्रकार के बब्लर, ब्लैक ड्रोंगो, कठफोडवा, लैपविंग, मयूर, तालाब बगुला, इग्रेट आदि पाई जाती हैं। कभी-कभी, मांसाहारी जैसे भेड़िये और तेंदुएं भी देखे जाते हैं। अभयारण्य के वनों को एक तरफ बिहार राज्य की सीमा द्वारा उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भाग की ओर तक दूसरी तरफ कोडरमा, हजारीबाग के पश्चिम और चतरा के उत्तरी वन संभागों के वनों द्वारा निरूपित किया गया है;

और, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी जैव विविधता और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्य के हजारीबाग जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का कुल क्षेत्रफल 327.59 वर्ग किलोमीटर है (अंतरराज्यीय सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है)।
- (2) गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को सम्मिलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग; और
- (xii) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी के पैरा 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुख-सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) पैरा-4 में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलाप।

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाएंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल या रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में किया जा सकेगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
8.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन विनियमित होगा।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
		संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में सड़क यातायात का संचालन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी एक मानीटरी समिति गठित करती है:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
(i)	आयुक्त, उत्तर छोटानागपुर संभाग, हजारीबाग	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	गैर-सरकारी संगठनों विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य;
(iv)	झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	संबद्ध क्षेत्रीय प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(viii)	संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश के निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

- (3) इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षित किए जाएंगे और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अग्रिम पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केन्द्रीय के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षित किए जाएंगे और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. सर्वोच्च न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा. सं. 25/70/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

झारखंड राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:- उत्तर पश्चिम और उत्तरी भाग बिहार (बिहार का गया जिला) और झारखंड (झारखंड का हजारीबाग जिला) के बीच की राज्य सीमा है।

पूर्व:- बागीटांड का उत्तर और उत्तर-पूर्व भाग, कालापहाड़ का उत्तरी और दक्षिण-पूर्व भाग, जागोडीह का पूर्वी और दक्षिणी भाग, महाबाद का पूर्वी भाग, गुरुबारा का पूर्वी और दक्षिण भाग और पदमा राजस्व ग्रामों का दक्षिण पूर्व भाग।

दक्षिण:- ककरौला का दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व भाग, मचला और दरजीचक का दक्षिणी टीप, करमा का दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिम भाग, करनजुआ का दक्षिण भाग, ताजपुर का दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी भाग, चौपारन, दोमदनदेई, बिघा, मधगोपाली, भदेल का दक्षिण भाग, मझौलिया का दक्षिण-पूर्व भाग, अमरौल, भदान, हथिनजार, बिघा, सहोरा, हरदिया

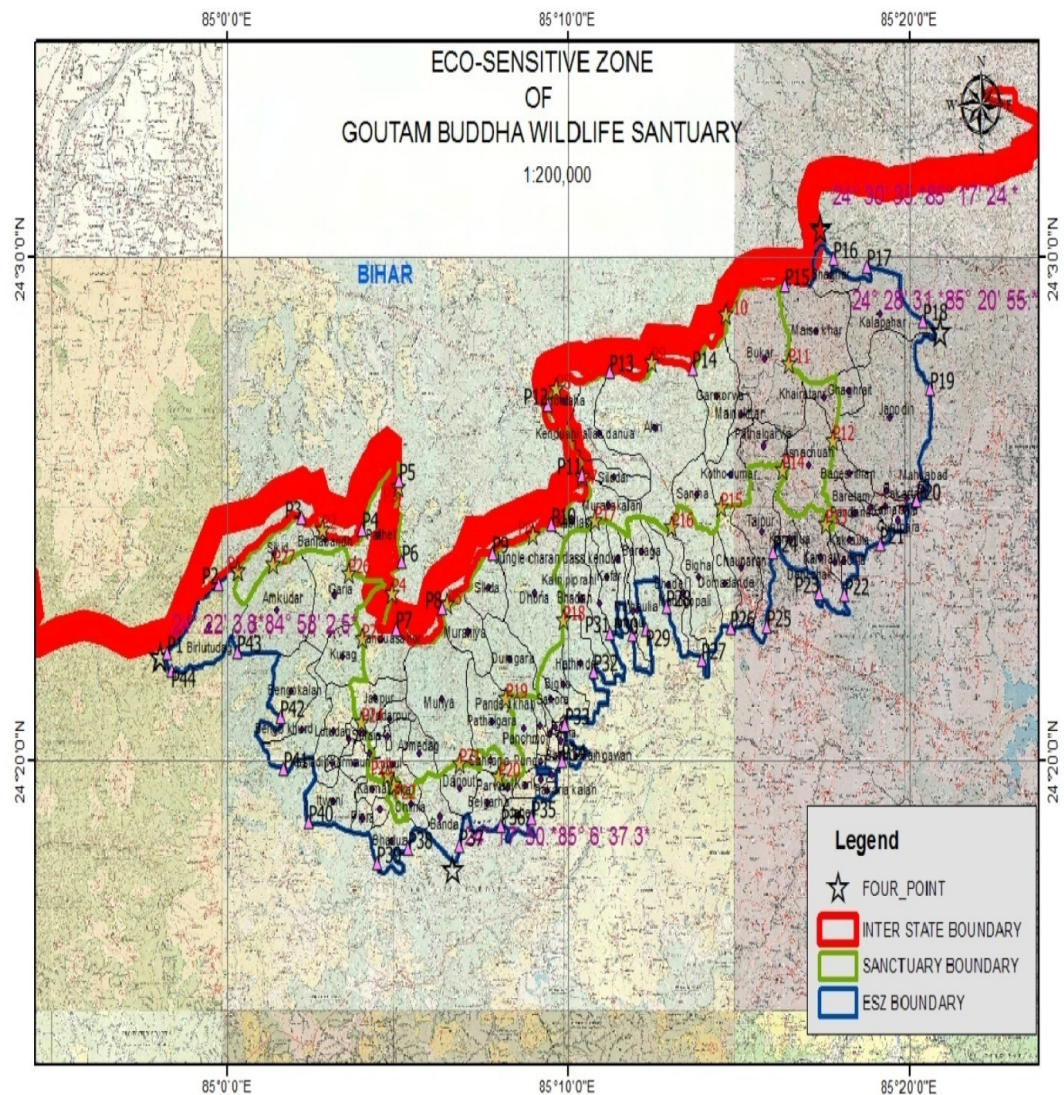
का दक्षिणी भाग, मझगांव, पकरियाकलान का दक्षिण-पूर्व और दक्षिणी भाग, जवेर, बेलगरहा, बंदा और चिलचिया राजस्व ग्रामों का दक्षिणी भाग।

पश्चिम: - भदुआ का दक्षिण-पूर्व, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिम भाग, पिपरा का दक्षिणी भाग, इटवरी का दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भाग, और लुटुदाग, बेंगौखुर्द, बेंगोकलान, अमकुदार और बिरलुतुदाग राजस्व ग्रामों का पश्चिम भाग।

उपाबंध-II

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर गौतम बुद्ध वन्यजीव

अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पी-1	24°23'45"	85°0'18"
पी-2	24°24'35"	85°2'46"
पी-3	24°25'25"	85°4'59"
पी-4	24°23'19"	85°4'48"
पी-5	24°23'5"	85°6'26"
पी-6	24°24'28"	85°8'56"
पी-7	24°25'38"	85°10'24"
पी-8	24°27'22"	85°9'38"
पी-9	24°27'55"	85°12'25"
पी-10	24°28'51"	85°14'36"
पी-11	24°27'53"	85°16'26"
पी-12	24°26'21"	85°17'44"
पी-13	24°24'41"	85°17'31"
पी-14	24°25'46"	85°16'16"
पी-15	24°25'1"	85°14'27"
पी-16	24°24'37"	85°13'1"
पी-17	24°24'45"	85°10'45"
पी-18	24°22'46"	85°9'50"
पी-19	24°21'13"	85°8'9"
पी-20	24°19'39"	85°7'56"
पी-21	24°19'55"	85°6'47"
पी-22	24°19'30"	85°4'52"
पी-23	24°19'41"	85°4'40"
पी-24	24°20'44"	85°3'55"
पी-25	24°22'24"	85°3'56"
पी-26	24°23'42"	85°3'32"
पी-27	24°23'53"	85°1'20"
पी-28	24°23'45"	85°0'18"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
पी-1	24°22'8"	84°58'13"
पी-2	24°23'30"	84°59'43"
पी-3	24°24'49"	85°2'9"
पी-4	24°24'36"	85°3'56"
पी-5	24°25'34"	85°5'1"
पी-6	24°23'57"	85°5'6"
पी-7	24°22'37"	85°4'55"
पी-8	24°23'1"	85°6'16"
पी-9	24°24'7"	85°7'45"
पी-10	24°24'41"	85°9'29"
पी-11	24°25'41"	85°10'22"
पी-12	24°27'4"	85°9'23"
पी-13	24°27'44"	85°11'11"
पी-14	24°27'48"	85°13'37"
पी-15	24°29'27"	85°16'20"
पी-16	24°29'59"	85°17'45"
पी-17	24°29'50"	85°18'44"
पी-18	24°28'45"	85°20'23"
पी-19	24°27'23"	85°20'35"
पी-20	24°25'10"	85°20'11"
पी-21	24°24'18"	85°19'7"
पी-22	24°23'17"	85°18'5"
पी-23	24°23'19"	85°17'20"
पी-24	24°24'8"	85°15'59"
पी-25	24°22'39"	85°15'48"
पी-26	24°22'38"	85°14'44"
पी-27	24°21'60"	85°13'53"
पी-28	24°23'3"	85°12'51"
पी-29	24°22'36"	85°12'15"
पी-30	24°22'30"	85°11'51"
पी-31	24°22'32"	85°11'11"
पी-32	24°21'46"	85°10'43"

पी-33	24°20'42"	85°9'53"
पी-34	24°19'59"	85°9'47"
पी-35	24°18'51"	85°8'54"
पी-36	24°18'42"	85°7'60"
पी-37	24°18'17"	85°6'47"
पी-38	24°18'14"	85°5'17"
पी-39	24°17'57"	85°4'22"
पी-40	24°18'46"	85°2'22"
पी-41	24°19'50"	85°1'38"
पी-42	24°20'51"	85°1'32"
पी-43	24°22'9"	85°0'16"
पी-44	24°21'47"	84°58'20"

उपाबंध-IV

गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

सारणी क

क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासनिक खण्ड	परिवार संख्या	अक्षांश	देशांतर	भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ग्राम कोड
1	2	3	4	5		6
1	पंडरिया	चौपारण	256	24.4153 उ	85.3065 पू	367635
2	कठम्बा	चौपारण	134	24.4174 उ	85.3217 पू	367637
3	सहिजना	चौपारण	4	24.3332 उ	85.1285 पू	367619
4	बुढिया अहरी	चौपारण	5	24.4229 उ	85.3221 पू	367638
5	ककरौला	चौपारण	57	24.4067 उ	85.304 पू	367646
6	मचला	चौपारण	107	24.3999 उ	85.3013 पू	367664
7	करमा	चौपारण	289	24.4004 उ	85.290 पू	367666
8	करनजुआ	चौपारण	12	24.4072 उ	85.275 पू	367667
9	ताजपुर	चौपारण	782	24.4093 उ	85.261 पू	367676
10	डोमाडांडे	चौपारण	27	24.392 उ	85.2432 पू	367679
11	बिघा	चौपारण	217	24.392 उ	85.2432 पू	367681
12	मधगोपाली	चौपारण	152	24.3941 उ	85.2307 पू	367682
13	भदेल	चौपारण	254	24.3916 उ	85.2156 पू	367684
14	बरदाग	चौपारण	0	24.4024 उ	85.2028 पू	367691

15	दरजी चक	चौपारण	65	24.3994 उ	85.2968 पू	367665
16	मझोलिया	चौपारण	14	24.3830 उ	85.2005 पू	367692
17	अमरौल	चौपारण	160	24.3828 उ	85.1979 पू	367693
18	जंगल चरणदास केन्दुआ	चौपारण	0	24.4002 उ	85.1906 पू	367699
19	काफर	चौपारण	0	24.3944 उ	85.1853 पू	367700
20	कैरी पिपराही	चौपारण	51	24.3855 उ	85.182 पू	367701
21	भादन	चौपारण	50	24.3871 उ	85.1731 पू	367702
22	हाथिदांड	चौपारण	122	24.3652 उ	85.1724 पू	367703
23	बिघा	चौपारण	45	24.3586 उ	85.1644 पू	367704
24	सरोहा	चौपारण	119	24.3537 उ	85.1585 पू	367705
25	महुआबाद	चौपारण	93	24.4235 उ	85.3401 पू	367837
26	कालापहाड़	चौपारण	13	24.4814 उ	85.3186 पू	367842
27	घघरैत	चौपारण	10	24.4558 उ	85.3039 पू	367843
28	जागोडीह	चौपारण	174	24.4472 उ	85.3236 पू	367844
29	बागेशरीथान	चौपारण	21	24.4283 उ	85.3043 पू	367845
30	मैसाखाड़	चौपारण	29	24.4758 उ	85.2877 पू	367848
31	भगहर	चौपारण	210	24.4942 उ	85.2944 पू	367849
32	गुरुबारा	चौपारण	119	24.4129 उ	85.3279 पू	367641
33	धोब्दा अहरी उर्फ पहरी	चौपारण	16	24.4165 उ	85.3311 पू	367640
34	पाकर टांड	चौपारण	74	24.4202 उ	85.3321 पू	367639
35	बारेटाम	चौपारण	28	24.4170 उ	85.3141 पू	367636
36	बेलगारा	इटखोरी	17	24.3192 उ	85.1273 पू	348957
37	जबेर	इटखोरी	133	24.3151 उ	85.1422 पू	348958
38	कोनी	इटखोरी	178	24.3251 उ	85.1461 पू	348959
39	पंचमो	इटखोरी	113	24.3439 उ	85.1451 पू	348961
40	पान्डेखाप	इटखोरी	48	24.3448 उ	85.153 पू	348962
41	हरदिया	इटखोरी	75	24.3423 उ	85.1579 पू	348963
42	राजा केन्दुआ	इटखोरी	38	24.3443 उ	85.1603 पू	348964
43	केन्दुआ	इटखोरी	4	24.3451 उ	85.1637 पू	348965
44	बहेरा चक	इटखोरी	0	24.3399 उ	85.1630 पू	348966
45	बन्थु	इटखोरी	101	24.3347 उ	85.1624 पू	348967
46	पुनौल	इटखोरी	8	24.3331 उ	85.1532 पू	348968
47	राजादहरभंगा	इटखोरी	37	24.3269 उ	85.1532 पू	348970
48	पकरियाकला	इटखोरी	73	24.3235 उ	85.1566 पू	348971
49	बिधीचक उर्फ मुरारचक	इटखोरी	0	24.3284 उ	85.1588 पू	348972
50	दनौत	इटखोरी	0	24.3242 उ	85.1136 पू	348956

51	परवानी	इटखोरी	14	24.3241 उ	85.1369 पू	348960
52	मझगावां	इटखोरी	26	24.3349 उ	85.1707 पू	348976
53	कुराग	कान्हाचट्टी	20	24.3676 उ	85.0563 पू	348834
54	गरिया	कान्हाचट्टी	170	24.3562 उ	85.0310 पू	348835
55	अमकुदर	कान्हाचट्टी	55	24.3831 उ	85.0246 पू	348838
56	बिरलुतुदाग	कान्हाचट्टी	39	24.3775 उ	85.9909 पू	348839
57	बेंगो कला	कान्हाचट्टी	205	24.3562 उ	85.0310 पू	348845
58	लुटूदाग	कान्हाचट्टी	104	24.3428 उ	85.0520 पू	348847
59	बेंगो खूर्द	कान्हाचट्टी	161	24.3436 उ	85.0367 पू	348846
60	मझौलिया	कान्हाचट्टी	30	24.3400 उ	85.0598 पू	348849
61	करमौनि	कान्हाचट्टी	3	24.3325 उ	85.0625 पू	348850
62	कांदरी	कान्हाचट्टी	32	24.3354 उ	85.0698 पू	348851
63	सरैया	कान्हाचट्टी	41	24.3423 उ	85.0647 पू	348852
64	देसवरिया	कान्हाचट्टी	4	24.3425 उ	85.0668 पू	348853
65	बन्दा	कान्हाचट्टी	19	24.3145 उ	85.1040 पू	348859
66	चिल्हिया	कान्हाचट्टी	66	24.3187 उ	85.0900 पू	348860
67	भदुआ	कान्हाचट्टी	86	24.3066 उ	85.0802 पू	348863
68	डोका	कान्हाचट्टी	61	24.3167 उ	85.0747 पू	348864
69	करमा	कान्हाचट्टी	97	24.3237 उ	85.0712 पू	348865
70	पीपरा	कान्हाचट्टी	8	24.3144 उ	85.0661 पू	348866
71	ईटवानी	कान्हाचट्टी	28	24.3196 उ	85.0517 पू	348867

संलग्न ग्रामों की सूची:

सारणी ख

क्र. सं.	ग्राम के नाम	प्रशासनिक खण्ड	परिवार संख्या	जीपीएस भू-निर्देशांक	भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहर/ग्राम कोड
1	2	3	4	5	
1	सिकदा	चौपारण	11	24.3903 उ, 85.1276 E	367616
2	मुरैनियां	चौपारण	18	24.3757 उ, 85.1176 E	367617
3	मुड़िया	चौपारण	53	24.3535 उ, 85.1047 E	367618
4	पथलगढ़ा	चौपारण	92	24.3461 उ, 85.1296 E	367620
5	दूरागड़ा	चौपारण	46	24.3669 उ, 85.1378 E	367621

6	ढोड़िया	चौपारण	54	24.3886 उ, 85.1501 पू	367622
7	कबिलास	चौपारण	9	24.4133 उ, 85.1686 पू	367623
8	मुर्तियाकला	चौपारण	59	24.4178 उ, 85.1864 पू	367624
9	सिलोदर	चौपारण	99	24.4273 उ, 85.1887 पू	367625
10	चोरदाहा	चौपारण	224	24.4522 उ, 85.1641 पू	367626
11	केन्दुआही उर्फ दनुआ	चौपारण	152	24.4416 उ, 85.1818 पू	367627
12	अहरी	चौपारण	201	24.4438 उ, 85.2089 पू	367628
13	सांझा	चौपारण	50	24.4218 उ, 85.2295 पू	367629
14	गरमोरवा	चौपारण	70	24.4543 उ, 85.2394 पू	367630
15	काठोडुमर	चौपारण	31	24.4279 उ, 85.2458 पू	367631
16	मैनुखार	चौपारण	34	24.4483 उ, 85.2513 पू	367632
17	पथलगडवा	चौपारण	24	24.4377 उ, 85.2621 पू	367633
18	असनाचुआं	चौपारण	52	24.4314 उ, 85.2841 पू	367634
19	खैराटांड	चौपारण	19	24.4535 उ, 85.2920 पू	367846
20	बुकार	चौपारण	87	24.4665 उ, 85.2627 पू	367847
21	पथेल	कान्हाचट्टी	152	24.4079 उ, 85.0739 पू	348832
22	सिकीद	कान्हाचट्टी	72	24.4016 उ, 85.0229 पू	348837
23	केन्दुआसहोर	कान्हाचट्टी	103	24.3736 उ, 85.0753 पू	348833
24	जसपुर	कान्हाचट्टी	128	24.3538 उ, 85.0722 पू	348854
25	मदारपुर	कान्हाचट्टी	6	24.3471 उ, 85.0794 पू	348855
26	अरमेदाग	कान्हाचट्टी	44	24.3359 उ, 85.0939 पू	348858
27	तुलबुर	कान्हाचट्टी	365	24.3322 उ, 85.0813 पू	348857
28	बभन्ना	कान्हाचट्टी	0	24.3409 उ, 85.0783 पू	348856
29	बनियाबांध	कान्हाचट्टी	46	24.4066 उ, 85.0482 पू	348836

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2019

S.O.2796(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 777(E), dated the 21st February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 21st February, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

AND WHEREAS, the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary (GBWLS), is situated in Hazaribagh district in the State of Jharkhand and it is elongated in shape and having two halves *viz*, northern and southern halves with a narrow constriction joining it, the northern half is larger in size, covering a length of about 12.5 kilometers from east to west and a width of about 7 kilometers from north to south, the Southern half is smaller in size, covering a length of about 6.5 kilometers from east to west and a breadth of about 8 kilometers from north to south, and it occupies an area of 121.224 square kilometers between 85°2'18" & 85°17'14" East longitude and 24°19'33" & 24°29'33" North latitude;

AND WHEREAS, the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary has a wide range of biodiversity; the habitat is shared by cheetal, wild boar, sloth bear, jackal, porcupine, hyaena, hare, etc.; the Sanctuary serves as a corridor for migrating elephants of Palamu, Chatra and Koderma and play a pivotal role in maintaining the genetic variation in the Asian elephants; the important bird species which can be frequently spotted are serpent eagle, paradise fly-catcher, kingfisher, bee-eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, peafowl, pond heron, egret, etc. and sometimes, carnivores like wolves and leopards are also spotted, and the forests of the Sanctuary are delineated towards the north and north-western side by State boundary of Bihar and on other sides by forests of Koderma, Hazaribag West and Chatra North Forest Divisions;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 to 5 kilometres around the boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary, in Hazaribagh district in the State of Jharkhand as the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 to 5 kilometres around the boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 327.59 square kilometres (*Zero extent of Eco-sensitive Zone is due to Inter-State boundary*).

- (2) The boundary description of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
 - (3) The map of the Gautam Buddha Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture and Horticulture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism including eco-tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal and Urban Development;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department, and
 - (xii) Jharkhand State Pollution Control Board.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
 - (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the

Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as.—

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio medical waste management shall be as under:-
 - (a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.-** Prevention and control of vehicular pollution shall be in-compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage	Regulated as per the applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribagh	Chairman, ex officio;
(ii)	A representative of State Pollution Control Board	Member;
(iii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(iv)	A representative nominated by the Forest and Environment Department of Jharkhand	Member;
(v)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(vii)	Concerned territorial Divisional Forest Officer	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer-In Charge of Protected Area	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/70/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

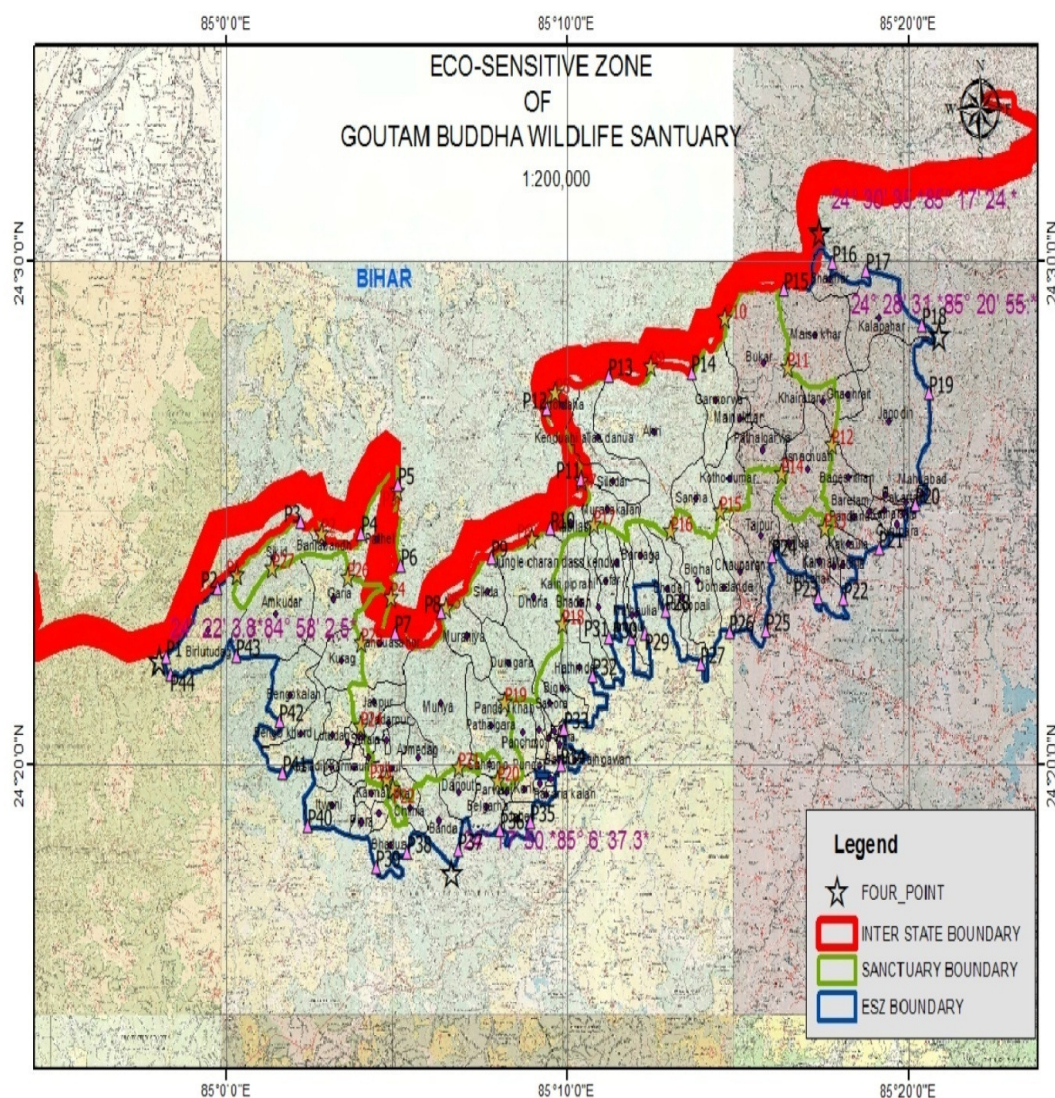
**BOUNDARY DESCRIPTION OF GAUTAM BUDDHA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-
SENSITIVE ZONE IN THE STATE JHARKHAND**

- North: -** North West and Northern part is Inter-State Border between Bihar (Gaya District of Bihar) and Jharkhand (Hazaribag District of Jharkhand).
- East: -** North and North-East part of the *Baghitnir*, Northern and South-East part of *Kalapahar*, Eastern and Southern Part of *Jagodih*, Eastern part of *Mahabad*, Eastern and Southern part of *Gurubara* and South-East Part of *Padma* Revenue Villages.
- South: -** Southern and South -East part of *Kakraula*, Southern tip of *Machla* and *Darjichak*, Southern and South-West part of *Karma*, Southern part of *Karanjua*, South-East and Southern part of *Tajpur*, Southern part of *Chauparan*, *Domadandei*, *Bigha*, *Madhgopali*, *Bhadel*, South-East Part of *Majhulia*, Southern part of *Amroul*, *Bhadan*, *Hathinjar*, *Bigha*, *Sahora*, *Hardia*, South-East and Southern part of *Majhgaon*, *Pakariakalan*, Southern part of *Jaber*, *Belgarha*, *Banda* and *Chilchia* Revenue villages.
- West: -** South-East, Southern and South-West part of *Bhadua*, Southern part of *Pipra*, South and Southern-West part of *Itwari* and West part of *Lutudag*, *Bengokhurd*, *Bengokalan*, *Amkudar* and *Birlutudag* Revenue villages.

ANNEXURE-II

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF GAUTAM BUDDHA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)**

TOPOSHEET



ANNEXURE-III

**TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF GAUTAM BUDDHA WILDLIFE
SANCTUARY**

Points	Latitude (N)	Longitude (E)
P-1	24°23'45"	85°0'18"
P-2	24°24'35"	85°2'46"
P-3	24°25'25"	85°4'59"
P-4	24°23'19"	85°4'48"
P-5	24°23'5"	85°6'26"

P-6	24°24'28"	85°8'56"
P-7	24°25'38"	85°10'24"
P-8	24°27'22"	85°9'38"
P-9	24°27'55"	85°12'25"
P-10	24°28'51"	85°14'36"
P-11	24°27'53"	85°16'26"
P-12	24°26'21"	85°17'44"
P-13	24°24'41"	85°17'31"
P-14	24°25'46"	85°16'16"
P-15	24°25'1"	85°14'27"
P-16	24°24'37"	85°13'1"
P-17	24°24'45"	85°10'45"
P-18	24°22'46"	85°9'50"
P-19	24°21'13"	85°8'9"
P-20	24°19'39"	85°7'56"
P-21	24°19'55"	85°6'47"
P-22	24°19'30"	85°4'52"
P-23	24°19'41"	85°4'40"
P-24	24°20'44"	85°3'55"
P-25	24°22'24"	85°3'56"
P-26	24°23'42"	85°3'32"
P-27	24°23'53"	85°1'20"
P-28	24°23'45"	85°0'18"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Points	Longitude (E)	Latitude (N)
P-1	24°22'8"	84°58'13"
P-2	24°23'30"	84°59'43"
P-3	24°24'49"	85°2'9"
P-4	24°24'36"	85°3'56"
P-5	24°25'34"	85°5'1"
P-6	24°23'57"	85°5'6"
P-7	24°22'37"	85°4'55"
P-8	24°23'1"	85°6'16"

P-9	24°24'7"	85°7'45"
P-10	24°24'41"	85°9'29"
P-11	24°25'41"	85°10'22"
P-12	24°27'4"	85°9'23"
P-13	24°27'44"	85°11'11"
P-14	24°27'48"	85°13'37"
P-15	24°29'27"	85°16'20"
P-16	24°29'59"	85°17'45"
P-17	24°29'50"	85°18'44"
P-18	24°28'45"	85°20'23"
P-19	24°27'23"	85°20'35"
P-20	24°25'10"	85°20'11"
P-21	24°24'18"	85°19'7"
P-22	24°23'17"	85°18'5"
P-23	24°23'19"	85°17'20"
P-24	24°24'8"	85°15'59"
P-25	24°22'39"	85°15'48"
P-26	24°22'38"	85°14'44"
P-27	24°21'60"	85°13'53"
P-28	24°23'3"	85°12'51"
P-29	24°22'36"	85°12'15"
P-30	24°22'30"	85°11'51"
P-31	24°22'32"	85°11'11"
P-32	24°21'46"	85°10'43"
P-33	24°20'42"	85°9'53"
P-34	24°19'59"	85°9'47"
P-35	24°18'51"	85°8'54"
P-36	24°18'42"	85°7'60"
P-37	24°18'17"	85°6'47"
P-38	24°18'14"	85°5'17"
P-39	24°17'57"	85°4'22"
P-40	24°18'46"	85°2'22"
P-41	24°19'50"	85°1'38"
P-42	24°20'51"	85°1'32"

P-43	24°22'9"	85°0'16"
P-44	24°21'47"	84°58'20"

ANNEXURE-IV

List of villages within the Eco-sensitive Zone of Gautam Buddha Wildlife Sanctuary

TABLE - A

Sl. No	Name of Village	Admm. Block	House Hold	Latitude	Longitude	Town/ Village code as per Census of India , 2011
1	2	3	4	5		6
1	Pandaria	Chouparan	256	24.4153 N	85.3065 E	367635
2	Kathamba	Chouparan	134	24.4174 N	85.3217 E	367637
3	Sahijana	Chouparan	4	24.3332 N	85.1285 E	367619
4	Burhia Ahri	Chouparan	5	24.4229 N	85.3221 E	367638
5	Kakraula	Chouparan	57	24.4067 N	85.304 E	367646
6	Machla	Chouparan	107	24.3999 N	85.3013 E	367664
7	Karma	Chouparan	289	24.4004 N	85.290 E	367666
8	Karanjua	Chouparan	12	24.4072 N	85.275 E	367667
9	Tajpur	Chouparan	782	24.4093 N	85.261 E	367676
10	Domadande	Chouparan	27	24.392 N	85.2432 E	367679
11	Bigha	Chouparan	217	24.392 N	85.2432 E	367681
12	Madhgopali	Chouparan	152	24.3941 N	85.2307 E	367682
13	Bhadel	Chouparan	254	24.3916 N	85.2156 E	367684
14	Bardaga	Chouparan	0	24.4024 N	85.2028 E	367691
15	Darji Chak	Chouparan	65	24.3994 N	85.2968 E	367665
16	Majhauia	Chouparan	14	24.3830 N	85.2005 E	367692
17	Amraul	Chouparan	160	24.3828 N	85.1979 E	367693
18	Jungle Charan Dass Kendua	Chouparan	0	24.4002 N	85.1906 E	367699
19	Kafar	Chouparan	0	24.3944 N	85.1853 E	367700
20	Kairi Piprahi	Chouparan	51	24.3855 N	85.182 E	367701
21	Bhadan	Chouparan	50	24.3871 N	85.1731 E	367702
22	Hathindar	Chouparan	122	24.3652 N	85.1724 E	367703
23	Bigha	Chouparan	45	24.3586 N	85.1644 E	367704
24	Sahora	Chouparan	119	24.3537 N	85.1585 E	367705
25	Mahuabad	Chouparan	93	24.4235 N	85.3401 E	367837
26	Kalapahar	Chouparan	13	24.4814 N	85.3186 E	367842
27	Ghaghrait	Chouparan	10	24.4558 N	85.3039 E	367843
28	Jagodih	Chouparan	174	24.4472 N	85.3236 E	367844
29	Bagesrithan	Chouparan	21	24.4283 N	85.3043 E	367845
30	Maisa Khar	Chouparan	29	24.4758 N	85.2877 E	367848
31	Bhaghar	Chouparan	210	24.4942 N	85.2944 E	367849
32	Gurubara	Chouparan	119	24.4129 N	85.3279 E	367641
33	Dhobda Ahri alias Pahri	Chouparan	16	24.4165 N	85.3311 E	367640
34	Pakartanr	Chouparan	74	24.4202 N	85.3321 E	367639

35	Baretam	Chouparan	28	24.4170 N	85.3141 E	367636
36	Belgara	Itkhor	17	24.3192 N	85.1273 E	348957
37	Jaber	Itkhor	133	24.3151 N	85.1422 E	348958
38	Koni	Itkhor	178	24.3251 N	85.1461 E	348959
39	Panchmo	Itkhor	113	24.3439 N	85.1451 E	348961
40	Pandey Khap	Itkhor	48	24.3448 N	85.153 E	348962
41	Hardia	Itkhor	75	24.3423 N	85.1579 E	348963
42	Raja Kendua	Itkhor	38	24.3443 N	85.1603 E	348964
43	Kendua	Itkhor	4	24.3451 N	85.1637 E	348965
44	Bahera Chak	Itkhor	0	24.3399 N	85.1630 E	348966
45	Banthu	Itkhor	101	24.3347 N	85.1624 E	348967
46	Punaul	Itkhor	8	24.3331 N	85.1532 E	348968
47	Rajadaharbhanga	Itkhor	37	24.3269 N	85.1532 E	348970
48	Pakaria Kalan	Itkhor	73	24.3235 N	85.1566 E	348971
49	Bidhichak alias murar chak	Itkhor	0	24.3284 N	85.1588 E	348972
50	Danout	Itkhor	0	24.3242 N	85.1136 E	348956
51	Parwani	Itkhor	14	24.3241 N	85.1369 E	348960
52	Majhgawan	Itkhor	26	24.3349 N	85.1707 E	348976
53	Kurag	Kanhachati	20	24.3676 N	85.0563 E	348834
54	Garia	Kanhachati	170	24.3562 N	85.0310 E	348835
55	Amkudar	Kanhachati	55	24.3831 N	85.0246 E	348838
56	Birlutudag	Kanhachati	39	24.3775 N	85.9909 E	348839
57	Bengokalan	Kanhachati	205	24.3562 N	85.0310 E	348845
58	Lutudag	Kanhachati	104	24.3428 N	85.0520 E	348847
59	Bengo Khurd	Kanhachati	161	24.3436 N	85.0367 E	348846
60	Majhauia	Kanhachati	30	24.3400 N	85.0598 E	348849
61	Karmauni	Kanhachati	3	24.3325 N	85.0625 E	348850
62	Kandri	Kanhachati	32	24.3354 N	85.0698 E	348851
63	Saraia	Kanhachati	41	24.3423 N	85.0647 E	348852
64	Deswaria	Kanhachati	4	24.3425 N	85.0668 E	348853
65	Banda	Kanhachati	19	24.3145 N	85.1040 E	348859
66	Chilhia	Kanhachati	66	24.3187 N	85.0900 E	348860
67	Bhadua	Kanhachati	86	24.3066 N	85.0802 E	348863
68	Doka	Kanhachati	61	24.3167 N	85.0747 E	348864
69	Karma	Kanhachati	97	24.3237 N	85.0712 E	348865
70	Pipra	Kanhachati	8	24.3144 N	85.0661 E	348866
71	Itwani	Kanhachati	28	24.3196 N	85.0517 E	348867

**List of Enclaved Villages:
TABLE - B**

Sl. No	Name of Village	Admm Block	House Hold	GPS Co-ordinets	Town/ Village code as per Census of India , 2011
1	2	3	4	5	6
1	Sikda	Chouparan	11	24.3903 N, 85.1276 E	367616
2	Murainia	Chouparan	18	24.3757 N, 85.1176 E	367617
3	Muriya	Chouparan	53	24.3535 N, 85.1047 E	367618
4	Pathalgada	Chouparan	92	24.3461 N, 85.1296 E	367620
5	Duragada	Chouparan	46	24.3669 N, 85.1378 E	367621
6	Dhoriya	Chouparan	54	24.3886 N, 85.1501 E	367622
7	Kabilash	Chouparan	9	24.4133 N, 85.1686 E	367623
8	Muratiakalan	Chouparan	59	24.4178 N, 85.1864 E	367624
9	Silodar	Chouparan	99	24.4273 N, 85.1887 E	367625
10	Chordaha	Chouparan	224	24.4522 N, 85.1641 E	367626
11	Kenduahi Alias Danua	Chouparan	152	24.4416 N, 85.1818 E	367627
12	Ahri	Chouparan	201	24.4438 N, 85.2089 E	367628
13	Sanjha	Chouparan	50	24.4218 N, 85.2295 E	367629
14	Garmorwa	Chouparan	70	24.4543 N, 85.2394 E	367630
15	Kothodumar	Chouparan	31	24.4279 N, 85.2458 E	367631
16	Mainukhar	Chouparan	34	24.4483 N, 85.2513 E	367632
17	Pathalgarwa	Chouparan	24	24.4377 N, 85.2621 E	367633
18	Asnachuan	Chouparan	52	24.4314 N, 85.2841 E	367634
19	Khairatanr	Chouparan	19	24.4535 N, 85.2920 E	367846
20	Bukar	Chouparan	87	24.4665 N, 85.2627 E	367847
21	Pathel	Kanahachatti	152	24.4079 N, 85.0739 E	348832
22	Sikid	Kanahachatti	72	24.4016 N, 85.0229 E	348837
23	Kenduasohre	Kanahachatti	103	24.3736 N, 85.0753 E	348833
24	Jaspur	Kanahachatti	128	24.3538 N, 85.0722 E	348854
25	Madarpur	Kanahachatti	6	24.3471 N, 85.0794 E	348855
26	Armedag	Kanahachatti	44	24.3359 N, 85.0939 E	348858
27	Tulbul	Kanahachatti	365	24.3322 N, 85.0813 E	348857
28	Babhana	Kanahachatti	0	24.3409 N, 85.0783 E	348856
29	Baniabandh	Kanahachatti	46	24.4066 N, 85.0482 E	348836

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.